कामतानाथ की कृपा भीषण बाढ़ में जनहानि नहीं : योगी

डेढ घण्टे के प्रवास में उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वे,क्षेत्र का निरीक्षण, महंतों से बातचीत और 8 सौ लोगों को राहत बांटी

नवभारत न्यूज

चित्रकूट 6 सितंबर .उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नदी के प्रवाह को अवरुद्ध करना असमय संकट को आमंत्रण देने जैसा है. उन्होंने कहा कि नदी का प्रवाह बारिश में ही अपने उच्चतम सीमा पर होता है. इसे ध्यान में रखकर व्यवस्था कायम की जाएगी.

अपने एक दिवसीय प्रवास पर रविवार को चित्रकूट पहुँचे श्री आदित्यनाथ ने कई कार्यक्रमों में भाग लिया.रामायण मेला स्थल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 8 सौ लोगों को राहत वितरित करते हुए कहा कि आपदा की इस घड़ी में डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ चित्रकूट वासियों के साथ खड़ी है। कोई भी बाढ़ पीडि़त मदद से वंचित नहीं रहेगा इतनी बड़ी बाढ़ में जन हानि नहीं होना कामता नाथ की कृपा है. सीएम ने कहा कि मंदाकिनी नदी का जलस्तर इस बार बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच गया था। बाढ़ की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में नदी पर बना पुल तक बह गया. उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन ने समय रहते राहत एवं बचाव कार्य शुरू किए और प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए घर बहा तो आवास मिलेगा. जरूरतमंदों को पट्टा भी दिया जाएगा.योगी ने कहा कि जिन परिवारों के घर बाढ़ में पूरी तरह बह गए हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था सरकार करेगी। पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना या सीएम आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराया जाएगा। जिन जरूरतमंद परिवारों के पास रहने के लिए जमीन नहीं है उन्हें आवासीय पट्टा देने की कार्रवाई भी की जाएगी।

इसके पूर्व मुख्यमंत्री ने रामघाट का हवाई सर्वे कर बाढ़ प्रभावितों से मिले .रामघाट में निरीक्षण करते हुए वहां के संत महंतो से बाढ़ आपदा के बारे में हाल जाना .इस अवसर पर दिगम्बर अखाड़ा के महंत दिव्य जीवन दास प्रथम मुखारबिंद के संत डॉ मदन गोपाल दास तोता मुखी के महंत मोहित दास मत्यजयेन्द्रनाथ के पुजारी प्रदीप तिवारी आदि से जाना हाल। सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावितों को राहत पहुंचाने में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रभावित परिवारों की सूची तैयार कर पात्र लोगों तकसरकारी सहायता पहुंचाई जाए

बच्चों से मिले तो टॉफी खिलाई

सीएम जब रामायण मेला परिसर पहुंचे तो बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच जाकर उनसे बातचीत की। उनके साथ आए छोटे बच्चों को देखकर योगी ने उन्हें अपने हाथ से टॉफी खिलाई। सीएम के इस अंदाज ने वहां मौजूद लोगों का ध्यान खींचा।

मंदाकिनी अतिक्रमण पर भी होगी समीक्षा

सीएम योगी आदित्यनाथ जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें बाढ़ से हुए नुकसान राहत एवं बचाव कार्य, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और भविष्य में बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। मंदाकिनी नदी के किनारे हुए अतिक्रमण को हटाने समेत अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा होगी।

जांच रिपोर्ट के बाद मेडिकल कालेज के डीन पर गिरी गाज

मामला जच्चा-बच्चा के मौत का

नवभारत न्यूज

रीवा, 6 सितम्बर, श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध गांधी मेमोरियल अस्पताल में जच्चा-बच्चा की मौत के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग की कार्यवाही का सिलसिला थम नही रहा है.

उच्च स्तरीय जांच के बाद रविवार को मेडिकल कालेज के डीन डा. सुनील अग्रवाल को रीवा मेडिकल कालेज से सतना मेडिकल कालेज पदस्थ कर दिया गया है. जबकि सतना मेडिकल कालेज के डीन डा. शशिधर गर्ग को रीवा मेडिकल कालेज का डीन पदस्थ किया गया है. उल्लेखनीय है कि गांधी मेमोरियल अस्पताल में जननी कल्पना मिश्रा एवं शिशु की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ था. दूसरे दिन ड्यूटी चिकित्सक डा. सोनल अग्रवाल प्रसूती एवं स्त्री रोग विभाग और डा. निधि पाण्डेय निश्चेतना विभाग को प्रथम दृष्टया कार्य के प्रति लापरवाही एवं गंभीर अनुशासनहीनता के आधार पर तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के साथ दो नर्सिंग आफीसर को भी निलंबित कर दिया गया था. इसके साथ ही सात सदस्यीय उच्च स्तरीय जांच टीम भी जांच करने रीवा पहुंची. इसी दौरान संजय गांधी अस्पताल के अधीक्षक डा. राहुल मिश्रा को भी अधीक्षक पद से हटाने का आदेश जारी किया गया. रविवार की सुबह मेडिकल कालेज में स्वास्थ्य मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने डीन सहित सभी वरिष्ठ चिकित्सकों की बैठक ली और इसके बाद ही दोपहर को डीन के स्थानान्तरण का आदेश जारी हुआ.

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग से आया आदेश

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग की अवर सचिव सीमा डेहरिया ने आदेश जारी कर रीवा डीन डा. सुनील अग्रवाल को सतना चिकित्सा महाविद्यालय पदस्थ किया है और सतना चिकित्सा महाविद्यालय के डीन डा. शशिधर गर्ग को रीवा मेडिकल कालेज डीन पदस्थ किया है. बतादें कि डा. गर्ग रीवा संजय गांधी अस्पताल में अधीक्षक के पद पर पूर्व में कार्य कर चुके है.

वन्यजीव तस्करी के 3 आरोपी गिरफ्तार

पिपराही से पकड़ाए, एसटीएफ की जांच जारी

नवभारत न्यूज

सीधी, 6 सितम्बर. शहर में वन्यजीव तस्करी के खिलाफ स्टेट टाइगर रिजर्व टास्क फोर्स (एसटीएफ) की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी जारी रही। शनिवार सुबह सीधी-मऊगंज जिले की सीमा पर स्थित ग्राम पिपराही से तीन आरोपियों को हिरासत में लिया गया।

वन विभाग और एसटीएफ की टीम ने शनिवार और रविवार को पूरी कार्रवाई गोपनीय रखी। रविवार शाम करीब 4 बजे तीनों आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए जिला अस्पताल सीधी लाया गया। एसटीएफ की टीम वन्यजीव तस्करी के संभावित नेटवर्क की जांच कर रही है। कार्रवाई के दौरान मोबाइल चैट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के जरिए तस्करी से जुड़े लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ ने तस्करों के नेटवर्क तक पहुंचने के लिए व्यापारी बनकर संपर्क साधा था। जांच में तेंदुआ की खाल मिलना आधिकारिक तौर पर बताया गया है।

इनको किया गिरफ्तार-पकड़े गए आरोपियों में अनमोल सिंह चंदेल पिता रणबहादुर सिंह चंदेल निवासी ग्राम बीरादेती, उम्र 25 वर्ष), अभिषेक उर्फ प्रिंस सिंह चंदेल पिता पुष्पराज सिंह चंदेल, निवासी ग्राम दुधमनिया उम्र 27 वर्ष और लल्ला बैगा निवासी ग्राम जड़कुड़ मुख्य आरोपी हैं।

भाजपा नेता शिव बहादुर सिंह चंदेल के पौत्र

मामले में अभिषेक उर्फ प्रिंस सिंह चंदेल का नाम सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज है। बताया जा रहा है कि अभिषेक, भाजपा के वरिष्ठ नेता शिव बहादुर सिंह चंदेल के पौत्र हैं। शिव बहादुर सिंह चंदेल पहले भाजपा की ओर से सिहावल विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी भी रह चुके हैं।

आगरा और तमिलनाडू तक नेटवर्क

एसटीएफ की जांच का दायरा सीधी से आगे आगरा और तमिलनाडु तक संभावित नेटवर्क से जुड़ने की बात भी सामने आई है। अंतरराज्यीय या अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की संभावना को लेकर भी जांच की जा रही है।

बिना जानकारी के अचानक रीवा पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह

नवभारत न्यूज

रीवा, 6 सितम्बर, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह रविवार की देर रात रीवा पहुंचे.

भोपाल से वंदे भारत से चलकर रात 11.35 बजे रीवा रेलवे स्टेशन पहुंचे. जहा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया. रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन 7 सितम्बर को स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होगे. इसके साथ ही रात

7.50 बजे रेवांचल से वापस भोपाल प्रस्थान करेगें. दिग्विजय सिंह यहा कमिश्नर कार्यालय के सामने आयोजित कांग्रेस के दो दिवसीय एससी-एसटी सम्मेलन में शामिल होगे.

प्रभारी मंत्री 8 को सतना आयेंगे

सतना 06 सितम्बर मध्यप्रदेश

शासन के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री तथा सतना जिले के प्रभारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय 8 सितम्बर को सतना आयेंगे और सायं 4.30 बजे चित्रकूट पहुंचकर स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद प्रभारी मंत्री रात्रि विश्राम चित्रकूट में करेंगे।

छिरहट में लाठियों से पीट-पीट कर पत्नी की निर्मम हत्या

आरोपी गिरफ्तार, पत्नी पर झाड़फूक का संदेह करता था पति

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 6 सितम्बर। सरई थाना के समीपी छिरहट गांव में बीती रात एक महिला को उसी के हवसी पति ने लाठियों से पीट-पीट कर निर्मम तरीके से हत्या कर दिया है।

इस सनसनी खेज घटना के बाद गांव में सनाका पसर गया। वहीं पुलिस को जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी प्रहलाद सिंह मर्सकोले निरीक्षक तत्काल घटनास्थल पहुंच

संदेही को हिरासत में लेकर पूछतांछ की, जहां उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। घटना के संबंध में पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सरई थाना के समीपी नगर परिषद वार्ड क्रमांक 6 छिरहट निवासी महिला लीलावती पनिका पति रामलाल पनिका उम्र 37 वर्ष के बीच शनिवार की रात घरेलू बातो को लेकर कहासुनी शुरू हो गया। बताया जाता है कि लीलावती का एक बालक की करीब दो साल पहले मौत हो गई। झाड़फूक एवं टोना भूतप्रेत पर शक था और बार-बार मृतक पुत्र को वापस लाने की जिद्द कर रही थी और इसी बात को लेकर दोनों के बीच बात बढ़ गई। रामलाल ने लाठी लिया और सांपो की तरह अपनी पत्नी लीलावती को बेरहमी से पीट-पीट कर अधमरा कर दिया और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरई पहुंचते ही चिकित्सको ने मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि घटना की जानकारी सरई पुलिस को लगी। थाना प्रभारी हमराह के साथ घटनास्थल पहुंच संदेही को हिरासत में लेकर गहन पूछतांछ शुरू की। जहां उसने अपना अपराध कबूल कर लिया।

बूढ़ी औरत एवं बच्ची की थम गई थी सांसे

पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ बेरहमी के साथ मारपीट कर गंभीर अवस्था में पहुंचा दिया था और घटना स्थल पर मौजूद आरोपी की मॉ बुटली देवी एवं उसकी नाबालिक बेटी की धड़कने बढ़ी थी और काफी भयभीत भी थी। उन्हें डर सता रहा था कि कही उनपर भी हमला न बोल दे। पुलिस मौके से पहुंच सुझबूझ एवं विवेकपूर्ण तरीके से घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया और बूढ़ी महिला एवं किशोरी बालिका को सुरक्षित निकालते हुये आरोपी को तत्काल में हिरासत में ले लिया गया।

इनका कहना है

पति-पत्नी के बीच कहासुनी हो रही थी, इसी दौरान आरोपी ने लीलावती को लाठियों से हमला कर हत्या कर दिया। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

प्रहलाद सिंह मर्सकोले
थाना प्रभारी, निरीक्षक, सरई

झरने के कुंड में डूबने से जीजा-साले की मौत

चितरंगी थाना के समीपी धुंधीखांड़ की घटना, शोक में डूबा परिवार

नवभारत न्यूज

चितरंगी 6 सितम्बर। चितरंगी थाना क्षेत्र के समीपी धुंधीखांड़ के झरने में नहाते वक्त दो अधेड़ व्यक्ति कुंड के गहरे पानी में डूब गये, जहां दोनों की मौत हो गई। दोनों मृतक रिश्ते में जीजा-साले हैं। इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है।

जानकारी के अनुसार ग्राम धुंधीखाड़-चितरंगी निवासी अमृतलाल बैगा पिता मनधारी बैगा उम्र 56 वर्ष बीते दिन शनिवार की

शाम करीब 5 बजे घर के समीपी झरने में अपने रिश्ते के साला रामरती बैगा पिता वीरशाह बैगा उम्र 48 वर्ष के साथ नहाने गया था कि अमृत बैगा का पैर फिसला और झरने के गहरे कुंड में समा गया। अपने जीजा अमृत को बचाने के लिए रामरती बैगा भी कूद पड़ा। अंतत: दोनों व्यक्तियों की अकाल मौत हो गई। परिवारजन उस समय जानकारी हुई, जब काफी देर तक दोनों व्यक्ति घर वापस नही आए। हालांकि घर से दोनों व्यक्ति झरने में नहाने बता कर निकले थे। काफी वक्त होने के बाद परिजन तलाश में जुट गये, जहां दोनों का शव कुंड में मिला। इसकी जानकारी चितरंगी पुलिस को दी गई।

स्थानीय पुलिस मौके से पहुंच शव को बरामद करते हुये आज रविवार की सुबह सीएससी चितरंगी में पोस्टमार्टम कराया गया। फिलहाल उक्त घटना को लेकर बैगा परिवार में मातम पसरा हुआ है।

फांसी के फंदे पर झूला श्रमिक

सिंगरौली 6 सितम्बर। देवसर थाना क्षेत्र के ग्राम डोढ़की निवासी एक अधेड़ व्यक्ति अपने पुराने जर्जर घर के अंदर फांसी पर लटकते मिलने पर सनसनी फैल गई। आत्महत्या क्यों किया है, अभी पता नही चल पाया है। पुलिस के अनुसार ग्राम डोढ़की निवासी तिलकराज सिंह उम्र 45 वर्ष का शव बीते दिन शनिवार की देर शाम करीब 5 बजे एक पुराने सुनसान जर्जर घर में मिला है। पुलिस के अनुसार लापता अधेड़ व्यक्ति की तलाश परिजन कर रहे थे कि उसका फांसी के फंदे पर शव लटकता हुआ मिला।

24 घंटे बाद मिला युवक का शव

नवभारत न्यूज

रीवा, 6 सितम्बर, रीवा के चोरहटा थाना क्षेत्र स्थित खैरा रपटा पार करते समय डूबे मामा-भांजे में मामा को ग्रामीणों ने सुरक्षित बचा लिया था, जबकि भांजे की तलाश जारी रही. घटना के 24 घंटे बाद भांजे का भी शव बरामद कर लिया गया है.

रीवा जिले के चोरहटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खैरा में बीती शाम एक नाले का रपटा पार करते समय मामा और भांजे पानी के तेज बहाव में बह गए. स्थानीय ग्रामीणों की तत्परता से मामा को तो सकुशल बचा लिया गया है, लेकिन भांजे का कोई सुराग नहीं मिल पाया था. लापता युवक की पहचान अमन बाल्मीक के रूप में हुई है, जो रीवा के घोघर का निवासी है. अमन अपने मामा के साथ मुकुंदपुर जा रहा था, तभी खैरा गांव के पास यह हादसा हो गया था. घटना की सूचना मिलते ही चोरहटा थाना पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई थी. लापता युवक अमन की तलाश के लिए एसडीईआरएफ की टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया था. पानी का बहाव तेज होने के कारण सर्चिंग में काफी मशक्कत करनी पड़ी. घटना के करीब 24 घंटे बाद रेस्क्यू टीम ने कुछ ही दूरी पर अमन का शव बरामद कर लिया है जिसे पीएम के लिए अस्पताल ले जाया गया है.

जनपद सदस्य समेत 5 पर एससी-एसटी एक्ट का मामला दर्ज

माड़ा थाना में दर्ज हुआ आपराधिक प्रकरण

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 6 सितम्बर। माड़ा थाना क्षेत्र में मारपीट, गाली-गलौज और धमकी देने के आरोप में जनपद सदस्य समेत पांच लोगों के खिलाफ फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट समेत अन्य बीएनएस की धाराओ के तहत अपराध पंजीबद्ध की है।

पुलिस सूत्रो से मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता बालकराम साकेत निवासी ग्राम माड़ा ने पुलिस को बताया कि वह 6 सितंबर को सुबह करीब 9:15 बजे माड़ा बाजार स्थित एक दुकान पर मजदूरी करने जा रहा था। इसी दौरान उसके साथ कथित रूप से गाली-गलौज, जातिसूचक शब्दों के इस्तेमाल, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की घटना हुई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विवाद के दौरान आरोपियों ने मारपीट की तथा बीच-बचाव करने पहुंचे लोगों के साथ भी विवाद किया। जहां शिकायतकर्ता की रिपोर्ट पर पुलिस ने नामजद आरोपी रावत सिंह, रणधीर सिंह, धनंजय सिंह, महेन्द्र वैश्य और गढ़हुल के विरूद्ध बीएनएस की धारा 126(2), 296(बी), 115(2), 351(3), और 3(5), के अलावा एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(1)(द) 3(1)(ध) और 3(2)(व्हीए) के तहत मामला दर्ज किया है। उक्त घटना की विवेचना थाना प्रभारी के द्वारा की जा रही है।

मार्ग अवरुद्ध करने वालों पर अपराध दर्ज

खुटार-करहिया चौराहे पर शव रखकर किए गए चक्का जाम ने करीब पांच घंटे तक राहगीरों और वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ा दीं। मुख्य सड़क पर प्रदर्शन के कारण चारों तरफसे आने-जाने वाला आवागमन पूरी तरह प्रभावित रहा और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में परेशानी उठानी पड़ी। प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ईंट-पत्थर एवं लकड़ी रखकर मार्ग अवरुद्ध कर दिया था। इस दौरान राहगीरों और वाहनों को आगे जाने से रोका गया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को कई बार समझाइश देते हुए चक्का जाम समाप्त करने का प्रयास किया,

IIFL FINANCE

आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड | CIN: L67100MH1995PLC093797
पंजीकृत कार्यालय: आईआईएफएल हाउस, सन इन्फोटेक पार्क, रोड नंबर 16वी, प्लॉट नंबर बी-23, ठाणे इंडस्ट्रियल एरिया, वागले एस्टेट, ठाणे - 400604
फ़ोन: 022-41035000 • फ़ैक्स: 022-25806654 • टोल-फ़्री: 1860-267-3000
ई-मेल: gold-helpline@iifl.com • वेबसाइट: www.iifl.com

सार्वजनिक सूचना – गिरवी रखे गए सोने की नीलामी

संबंधित उधारकर्ताओं/कानूनी उत्तराधिकारियों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड ("आईआईएफएल") - जो भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है - यहाँ बताए गए लोन अकाउंट्स में गिरवी रखे गए सोने की सार्वजनिक नीलामी करेगी, जहाँ उधारकर्ता ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के समय-समय पर जारी निर्देशों ("RBI निर्देश"), लोन एग्रीमेंट की शर्तों और आईआईएफएल के बोर्ड से मंज़ूर गोल्ड लोन पॉलिसी के अनुसार, संचार के उपलब्ध माध्यमों से नीलामी का नोटिस और रिमाइंडर मिलने के बावजूद अपने लोन अकाउंट का भुगतान नहीं किया है या उसे नियमित नहीं किया है।

नीलामी की तारीख, समय और जगह: सार्वजनिक नीलामी 15.09.2026 को सुबह 10:00 बजे से आईआईएफएल की इस ब्रांच में होगी: **रीवा-कॉलेज रोड जी.एल., आईआईएफएल गोल्ड लोन, प्रथम तल, 17-35, जॉन टॉवर के पास, सिंडिकेट बैंक के ऊपर, कॉलेज रोड, रीवा-486001 (मध्य प्रदेश)।**

यह नीलामी उसी ज़िले में मौजूद लोन देने वाली शाखाओं के लोन अकाउंट से जुड़ी है।

गोल्ड लोन अकाउंट का विवरण: लोन अकाउंट नंबर- GL17528848, GL19565230, GL28227000, GL32969896, GL33438966, GL33559377, GL33629256, GL33643186, GL34235706, GL34519842, GL34529766, GL35184618, GL35331047, GL35409544, GL35411563, GL36196023, GL36174773, GL36456996, GL36455691, GL36696092, GL36978302, GL37279745, GL38399721, GL39032871, GL39141367, GL39197347, GL39876086, GL39894485, GL39912894, GL40514028, GL40710909, GL40730641, GL41267871, GL42149469, GL43286475, GL40809925, GL40797385, GL44880280, GL46868256, GL41038210, GL42899396, GL46433009, GL41383382, GL41359140, GL41369507, GL41649577, GL44158827, GL50740310, GL50738217.

डिफ़ॉल्ट करने वाले उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) के नाम, गिरवी रखे गए सोने की जानकारी और संबंधित शाखा का पता संबंधित शाखा और ऊपर बताए गए नीलामी केंद्र पर देखा जा सकता है। साथ ही, यह जानकारी आईआईएफएल कस्टमर केयर 1860-267-3000 या www.iifl.com से भी प्राप्त की जा सकती है।

नीलामी से पहले भुगतान का अधिकार: उधारकर्ता/उनके कानूनी वारिस ऋण समझौते और मुख्य तथ्य के विवरण (KFS) में उल्लिखित ब्याज और लागू शुल्क सहित संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं और नीलामी की तारीख तक किसी भी समय लोन एकाउंट बंद या नियमित कर सकते हैं, जिसके बाद खाते को नीलामी से हटा लिया जाएगा।

इस प्रकाशन की तारीख या उसके बाद बंद किए गए या नियमित किए गए खातों से आनुपातिक प्रकाशन शुल्क वसूल किया जाएगा।

मृत उधारकर्ता: यदि कोई उधारकर्ता मृत है, तो यह सूचना और नीलामी की शर्तें उधारकर्ता के कानूनी वारिसों पर लागू होंगी।

आरक्षित मूल्य: नीलामी, RBI के निर्देशों के अनुसार तय किए गए गिरवी रखे सोने की मौजूदा कीमत के कम से कम 90% (उन लोन अकाउंट के लिए 85% जिनकी नीलामी दो बार फेल हो चुकी है) के आरक्षित मूल्य पर होगी।

बिक्री का आधार: नीलामी "जैसी है, जहाँ है", "जैसी है, वैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर की जाएगी। बोली लगाने के इच्छुक लोगों को सलाह दी जाती है कि वे बोली लगाने से पहले दिखाए गए गिरवी रखे सोने की जानकारी देख लें और खुद संतुष्ट हो लें।

स्थगन / वापसी: आईआईएफएल दर्ज किए जाने वाले कारणों से नीलामी को स्थगित कर सकता है या किसी भी लोन अकाउंट को उससे वापस ले सकता है, जिसमें खाते का पुनर्भुगतान या नियमितीकरण, किसी अदालत या प्राधिकरण के आदेश, या परिचालन संबंधी आवश्यकताएं शामिल हैं।

अगर यहाँ बताई गई तारीख पर नीलामी नहीं हो पाती या पूरी नहीं हो पाती है, तो आईआईएफएल अपनी मर्ज़ी से और उचित सूचना देकर, बाद की किसी तारीख पर उसी ज़िले या आस-पास के ज़िले में नीलामी कर सकता है या उसे जारी रख सकता है, या फिर ऑनलाइन नीलामी भी कर सकता है।

हितों का कोई टकराव नहीं: RBI के निर्देशों का पालन करते हुए, आईआईएफएल और उससे जुड़े पक्षकार नीलामी में भाग नहीं लेंगे।

नीलामी से मिली रकम: नीलामी में मिली राशि और समायोजित की गई बकाया राशि की पूरी जानकारी उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) / कानूनी उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) को दी जाएगी। अगर कोई अतिरिक्त रकम बच जाती है, तो नीलामी से मिली पूरी रकम मिलने के सात कामकाजी दिनों के भीतर उसे वापस कर दिया जाएगा (यह उधारकर्ता की बैंकिंग जानकारी उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा); इसलिए उधारकर्ताओं से अनुरोध है कि वे संबंधित लोन देने वाली शाखा में अपने बैंक अकाउंट की नवीनतम जानकारी अपडेट कर लें। अगर यह राशि कम है, तो उसे ऋण समझौते के अनुसार वसूला जाएगा।

विस्तृत जानकारी और नियमों व शर्तों के लिए, कृपया आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड की संबंधित लोन देने वाली शाखा (पता अकाउंट लिस्ट के साथ दिखाया गया है) या आईआईएफएल कस्टमर केयर से 1860-267-3000 पर संपर्क करें।

तारीख: 07.09.2026
स्थान: रीवा

हस्ताक्षर/-
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड

IIFL FINANCE

आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड | CIN: L67100MH1995PLC093797
पंजीकृत कार्यालय: आईआईएफएल हाउस, सन इन्फोटेक पार्क, रोड नंबर 16वी, प्लॉट नंबर बी-23, ठाणे इंडस्ट्रियल एरिया, वागले एस्टेट, ठाणे - 400604
फ़ोन: 022-41035000 • फ़ैक्स: 022-25806654 • टोल-फ़्री: 1860-267-3000
ई-मेल: gold-helpline@iifl.com • वेबसाइट: www.iifl.com

सार्वजनिक सूचना – गिरवी रखे गए सोने की नीलामी

संबंधित उधारकर्ताओं/कानूनी उत्तराधिकारियों और आम जनता को सूचित किया जाता है कि आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड ("आईआईएफएल") - जो भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है - यहाँ बताए गए लोन अकाउंट्स में गिरवी रखे गए सोने की सार्वजनिक नीलामी करेगी, जहाँ उधारकर्ता ने भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के समय-समय पर जारी निर्देशों ("RBI निर्देश"), लोन एग्रीमेंट की शर्तों और आईआईएफएल के बोर्ड से मंज़ूर गोल्ड लोन पॉलिसी के अनुसार, संचार के उपलब्ध माध्यमों से नीलामी का नोटिस और रिमाइंडर मिलने के बावजूद अपने लोन अकाउंट का भुगतान नहीं किया है या उसे नियमित नहीं किया है।

नीलामी की तारीख, समय और जगह: सार्वजनिक नीलामी 15.09.2026 को सुबह 10:00 बजे से आईआईएफएल की इस ब्रांच में होगी: **सतना-गोपाल कॉम्प्लेक्स जी.एल., आईआईएफएल गोल्ड लोन, शॉप नं. 22, गोपाल कॉम्प्लेक्स, एन.एच. 75, बस स्टैंड के सामने, सतना (मध्य प्रदेश)-485001।**

यह नीलामी उसी ज़िले में मौजूद लोन देने वाली शाखाओं के लोन अकाउंट से जुड़ी है।

गोल्ड लोन अकाउंट का विवरण: लोन अकाउंट नंबर- GL33413391, GL42358135, GL41782921, GL34396536, GL39064609, GL40217790, GL40202339, GL40671794, GL40900408, GL40894245, GL41089109, GL41070935, GL44146648, GL45945790, GL48946992, GL46876916, GL43701679, GL43158237, GL41089091, GL44731991, GL41073346, GL42624966, GL42047984, GL41132012, GL41152749, GL44674974, GL41158845, GL41240838, GL41222751, GL46036231, GL47241492, GL43751649, GL41236716, GL41240857, GL42625208, GL41260198, GL41267388, GL41388835, GL41387543, GL44146526, GL45945005, GL44374128, GL43422299, GL41736871, GL41401766, GL42759731, GL41402731, GL41443091, GL48151056, GL41498856, GL42223275, GL42589318, GL42730116, GL44880961, GL47175402, GL45949414, GL41546359, GL46875425, GL43788475, GL43044398, GL45605956, GL46524033, GL44296376, GL41617452, GL41616455, GL41648191, GL44336017, GL44430886.

डिफ़ॉल्ट करने वाले उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) के नाम, गिरवी रखे गए सोने की जानकारी और संबंधित शाखा का पता संबंधित शाखा और ऊपर बताए गए नीलामी केंद्र पर देखा जा सकता है। साथ ही, यह जानकारी आईआईएफएल कस्टमर केयर 1860-267-3000 या www.iifl.com से भी प्राप्त की जा सकती है।

नीलामी से पहले भुगतान का अधिकार: उधारकर्ता/उनके कानूनी वारिस ऋण समझौते और मुख्य तथ्य के विवरण (KFS) में उल्लिखित ब्याज और लागू शुल्क सहित संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं और नीलामी की तारीख तक किसी भी समय लोन एकाउंट बंद या नियमित कर सकते हैं, जिसके बाद खाते को नीलामी से हटा लिया जाएगा।

इस प्रकाशन की तारीख या उसके बाद बंद किए गए या नियमित किए गए खातों से आनुपातिक प्रकाशन शुल्क वसूल किया जाएगा।

मृत उधारकर्ता: यदि कोई उधारकर्ता मृत है, तो यह सूचना और नीलामी की शर्तें उधारकर्ता के कानूनी वारिसों पर लागू होंगी।

आरक्षित मूल्य: नीलामी, RBI के निर्देशों के अनुसार तय किए गए गिरवी रखे सोने की मौजूदा कीमत के कम से कम 90% (उन लोन अकाउंट के लिए 85% जिनकी नीलामी दो बार फेल हो चुकी है) के आरक्षित मूल्य पर होगी।

बिक्री का आधार: नीलामी "जैसी है, जहाँ है", "जैसी है, वैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर की जाएगी। बोली लगाने के इच्छुक लोगों को सलाह दी जाती है कि वे बोली लगाने से पहले दिखाए गए गिरवी रखे सोने की जानकारी देख लें और खुद संतुष्ट हो लें।

स्थगन / वापसी: आईआईएफएल दर्ज किए जाने वाले कारणों से नीलामी को स्थगित कर सकता है या किसी भी लोन अकाउंट को उससे वापस ले सकता है, जिसमें खाते का पुनर्भुगतान या नियमितीकरण, किसी अदालत या प्राधिकरण के आदेश, या परिचालन संबंधी आवश्यकताएं शामिल हैं।

अगर यहाँ बताई गई तारीख पर नीलामी नहीं हो पाती या पूरी नहीं हो पाती है, तो आईआईएफएल अपनी मर्ज़ी से और उचित सूचना देकर, बाद की किसी तारीख पर उसी ज़िले या आस-पास के ज़िले में नीलामी कर सकता है या उसे जारी रख सकता है, या फिर ऑनलाइन नीलामी भी कर सकता है।

हितों का कोई टकराव नहीं: RBI के निर्देशों का पालन करते हुए, आईआईएफएल और उससे जुड़े पक्षकार नीलामी में भाग नहीं लेंगे।

नीलामी से मिली रकम: नीलामी में मिली राशि और समायोजित की गई बकाया राशि की पूरी जानकारी उधारकर्ता (उधारकर्ताओं) / कानूनी उत्तराधिकारी (उत्तराधिकारियों) को दी जाएगी। अगर कोई अतिरिक्त रकम बच जाती है, तो नीलामी से मिली पूरी रकम मिलने के सात कामकाजी दिनों के भीतर उसे वापस कर दिया जाएगा (यह उधारकर्ता की बैंकिंग जानकारी उपलब्ध होने पर निर्भर करेगा); इसलिए उधारकर्ताओं से अनुरोध है कि वे संबंधित लोन देने वाली शाखा में अपने बैंक अकाउंट की नवीनतम जानकारी अपडेट कर लें। अगर यह राशि कम है, तो उसे ऋण समझौते के अनुसार वसूला जाएगा।

विस्तृत जानकारी और नियमों व शर्तों के लिए, कृपया आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड की संबंधित लोन देने वाली शाखा (पता अकाउंट लिस्ट के साथ दिखाया गया है) या आईआईएफएल कस्टमर केयर से 1860-267-3000 पर संपर्क करें।

तारीख: 07.09.2026
स्थान: सतना

हस्ताक्षर/-
अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईआईएफएल फाइनेंस लिमिटेड

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा.लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा. लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक आशीष श्रोती द्वारा प्लाट नं.34, इंडस्ट्रियल एरिया, सतना से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि., इंडस्ट्रियल एरिया से मुद्रित. संपादक- संजय पयासी* फोन- 250587, फैक्स- 224642 * समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत जिम्मेदार RNI Reg. No. 72181/99